

-: ओदश :-


राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 31.05.10 से 12.06.10 तक Induction/Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्रं. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान
1	डा० महेश कुमार गोयल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र थोई (सीकर)
2	डा० मनीष देव शर्मा	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कुशलगढ़ (बांसवाडा)
3	डा० ओ०पी० मालव	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र छींछ (बांसवाडा)
4	डा० राजकुमार खण्डेलवाल	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र बुरानखण्डला (बाडमेर)
5	डा० शशिकान्त गर्ग	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र भुसावर (भरतपुर)
6	डा० कैलाश बंसल	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र रुदावल (भरतपुर)
7	डा० गोपाल लाल गुप्ता	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र गनेसरा (बांसवाडा)
8	डा० अशोक चतुर्वेदी	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र परसारामपुरा (झुन्झुनू)
9	डा० रजनीश सिंघल	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र ब्रहम्बाद (भरतपुर)
10	डा० राजेश कुमार	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र बयाना (भरतपुर)
11	डा० सुरभी वशिष्ठ	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र बोरवाल (नागौर)
12	डा० अरुण अग्रवाल	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र टीनावाली (सीकर)
13	डा० ओम प्रकाश स्वामी	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र श्रीबालाजी (नागौर)
14	डा० संजय गुप्ता	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र परसोला (प्रतापगढ़)
15	डा० संजीव बंसल	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र करीरी (जयपुर)
16	डा० सुभाष बिलौनिया	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सिणधरी (बाडमेर)
17	डा० मनोहर लाल	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र हिंगोनिया (अजमेर)
18	डा० रोहिताश शर्मा	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र कंचनकलान (भीलवाडा)
19	डा० प्रदीप	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र झिलाई (नागौर)
20	डा० अशोक कुमार मीणा	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र मालपुरा (टोंक)
21	डा० राजेन्द्र कुमार चौधरी	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र नापासर (बीकानेर)
22	डा० महेन्द्र कुमार गंगावत	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र टिडियासर (चूरु)
23	डा० गौरव कामरा	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर)
24	डा० महेन्द्र सिंह बंकावत	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सांगरिया (हनुमानगढ़)
25	डा० महेन्द्र कुमार आर्य	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र मंगरोल (बांरा)
26	डा० कमलेश कुमार शर्मा	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र नीमकाखेडा (बून्दी)
27	डा० प्रीतम सिंह मण्डावत	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र मनोहर थाना (झालावाड)
28	डा० राजीव कुमार वर्मा	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सांगोद (कोटा)
29	डा० मनोज कुमार गुप्ता	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र महुइब्राही (करौली)
30	डा० नरेश कुमार बंजारा	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र खण्डार (सवाईमाधोपुर)
31	डा० अजय गुप्ता	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र गोपी एन गाडा (बांसवाडा)
32	डा० कमलेश कुमार जैन	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र पहुना (चित्तौडगढ़)
33	डा० महेन्द्र सिंह	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सुरता (झूंगरपुर)
34	डा० मीठालाल मीणा	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सालोद (राजसमन्द)
35	डा० हंसराज चारण	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र पादावली (उदयपुर)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु दि० 30.05.10 को सांय निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के -

पत्र क्रमांक प.6)ट्रेनिंग(पी.एल.2)आरएचएसडीपी/2007/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसरण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिनकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावें कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है, इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी।


नोट :- यात्रा भत्ता टेक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।
दिनांक : 28/5/2010

क्रमांक :- राजपत्रित/ट्रेनिंग/2010/ 350

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आरएचएसडीपी, मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक F7(6)/SIHFW/Ind.Trg./2010-11/410 दिनांक 24.05.10 के क्रम में भेजकर लेख हैं कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावें ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख हैं कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 30.05.10 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख हैं कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय से संबंधित की वेबसाइट पर तुरन्त डलवाने का श्रम करें।
9. आदेश पत्रावली।


अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।